कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 837/2022/10-11 / 2663 भोपाल, दिनांक 30/06/2023

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– वन मंडल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष PF-399 के रकबा 2.21 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का– आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/152429/2022

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./ 6–एमपीआर 010 / 2023–बीएचओ / दिनांक 30 / 05 / 2023

–––0–––

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र./6–एमपीआर 010 / 2023–बीएचओ / दिनांक 30 / 05 / 2023 से 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी आवेदक संस्था एवं वन मंडल अधिकारी से प्राप्त हुई है प्राप्त जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	Complete CA scheme is shall be uploaded/submitted.	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दी गई गैर वनभूमि पर पूर्व से ही 0.5 से 0.6 के घनत्व का वन है। अतः इस भूमि पर पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं होने के कारण रोपण योजना तैयार नहीं की गई है।
2	The DFO, South Sagar stated that the proposal is recommended only after receipt of a consolidated CA area adjoins to forest boundary for all relevant proposals. Thus, a single patch of CA area adjoining to foreset boundary shall be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर द्वारा पत्र दिनांक 04.11.2022 से अवगत कराया है कि प्रस्ताव में प्राप्त गैर वनभूमि कक्ष क्रमांक 1112 से लगी हुई है। वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर के पत्र की प्रति संलग्न है।
3	Out of 2.80 ha of CA land, about 1.59 ha area falling in forest compartment No. 1107, Range-Deori, South Sagar and the whole area (2.80 ha) is MDF category. Alternate CA area needs to be proposed as elucidated in (2) above.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर द्वारा पत्र दिनांक 04.11.2022 से अवगत कराया है कि प्रस्ताव में प्राप्त गैर वनभूमि कक्ष क्रमांक 1112 से लगी हुई है। वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर के पत्र की प्रति संलग्न है।
4	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	वनमण्डलाधिकारी, रीवा द्वारा औचित्य प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। छायाप्रति संलग्न है।

–2–

5	No bjection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc) shall be submitted.	आवेदक ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित वनभूमि से किसी प्रकार की रेलवे लाईन, विद्युत लाईन, सड़क या नहर इत्यादि नहीं गुजर रहे हैं। अतः इन विभागों की अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
6	Administrative approval/sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रस्ताव उनकी निजी फर्म का है। फर्म द्वारा इस खदान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
7	As per DSS analysis, the proposed area is 9.24 km away from Son Ghariyal WLS. Comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित वनक्षेत्र सोन अभ्यारण्य से 9.24 कि.मी. की दूरी पर है। सोन अभ्यारण्य का ईको सेंसेटिव जोन 2 कि.मी. का है। अतः प्रस्तावित खदान न तो किसी अभ्यारण्य में है और न ही किसी ईको सेंसेटिव जोन में आती है। अतः वन्यप्राणी अनुमति अथवा अभिमत लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
8	A copy of Mining Plan duly signed by Competent Authority (every page) shall be submitted.	इस खदान के माईनिंग प्लान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
9	The online mining plan is different from submitted mining plan. It shall be clarified.	इस प्रस्ताव में आवश्यक वनभूमि का रकबा 2.8 हेक्टेयर है। इस आवश्यक वनक्षेत्र की कार्यवार आवश्यकता के अनुसार विवरण प्रस्ताव के भाग–1 में बिन्दु क्रमांक B-2.4 पर अपलोड कर दिया गया है। सेफ्टीजोन की KML फाईल 0 हेक्टेयर में अपलोड है। आवेदक ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित खदान के एक ओर अन्य व्यक्ति की राजस्व क्षेत्र में खदान है। अतः इस तरफ सेफ्टीजोन नहीं लिया गया है।
10	The status of environmental clearance shall be submitted.	प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही जारी होती है। प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।
11	Status of same minerals surrounding revenue area from competent authority shall be submitted.	इस संबंध में खनिज अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
12	As per DSS analysis, about 0.34 ha has been already broken up area in proposed diversion land. Regarding ATR shall be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, रीवा द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। सम्भवतः KML फाईल में शिफ्टिंग के कारण यह त्रुटि परिलक्षित हो रही है।

13	Safety zone needs to be demarcated.	भाग—1 में विवरण दर्ज कर दिया गया है। सेफ्टिजोन की KML फाईल प्रस्ताव के भाग—1 में 0 हेक्टेयर में अपलोड कर दी गई है।
14	The three proposalinvolving area of 2.21 ha, 4.460 ha & 4.49 ha need to be consolidated.	आवेदक ने अवगत कराया है कि राज्य शासन द्वारा इन खदानों की स्वीकृति की प्रक्रिया अलग—अलग की गई है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा अलग—अलग आदेशों से यह खदान हमे आवंटित की है।
15	Water conservation Plan needs to be submitted, since there is a water body at a distance of approx. 300 m.	आवेदक ने अवगत कराया है कि यह खदान एक छोटी खदान है, जिसका कोई विपरीत असर आस—पास के जलाशयों पर नहीं पड़ेगा। इस खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करते समय इस बिन्दु पर विचार कर लिया जायेगा।
16	Status of present land use in the proposed area (countersingned by DFO) needs to be submitted.	यह वनक्षेत्र बिगड़े वनों के सुधार कार्यवृत्त में आता है। इस वन भूमि का प्रबंधन कार्य आयोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
17	Evacuation plan/ proposed approach road for transport of material needs to be submitted.	यह खदान वन भूमि की राजस्व सीमा से लगी हुई है। माईनिंग प्लान में बिन्दु क्रमांक 4.18, पेज क्रमांक 18 में खनिज परिवहन की योजना का वर्णन है।
18	An undertaking is required to be submitted that overburden shall not be dumped outside the designated area.	इस खदान का मलबा किसी प्रकार से वनक्षेत्र में या स्वीकृत खदान के बाहर के वनक्षेत्र में नहीं डाला जायेगा। इस संबंध में आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
19	The certificate from Competent Authoruty about non availability of the same minerals in surrounding / nearby non-forest area shall be submitted.	बिन्दु—11 में दिये विवरण अनुसार यह खनिज वन क्षेत्र में ही उपलब्ध है। खनिज अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः प्राप्त जानकारी संलग्न कर प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

30/6/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ—1 / 837/2022/10-11 / 2664 भोपाल, दिनांक 30/06/2023

प्रतिलिपिः—

1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश ।
2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश।
3 श्री ललित पंघाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975 / 76, सेक्टर 13 हुद्दा भिवानी, हरियाणा ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

30/6/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

161

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail - dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

सागर, दिनांक 4-11-22

क्रमांक/मा.चि./06/2022/3807

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी,
रीवा (सामान्य) वनमण्डल रीवा।

विषय :- 1. वन परिक्षेत्र हनुमना के ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 2.80 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152429/2022)

2. वन परिक्षेत्र मऊगंज के ग्राम हर्रईगुजरान के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 2/1 में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 4.46 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152431/2022)

3. वन परिक्षेत्र मऊगंज के ग्राम हर्रईगुजरान के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 2/1 में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 4.59 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152432/2022)

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/9470 दिनांक 17.10.22, 8582 दिनांक 22.09.22, 6787 दिनांक 05.08.2022
2. इस कार्यालय का क्रमांक/मा.चि./2374 दिनांक 08.07.2022
3. भारत का राजपत्र दिनांक 28 जून 2022
4. उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी का पत्र क्रमांक/1102 दिनांक 06.07.2022

--"--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित राजपत्र की प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है, कृपया अवलोकन करें। अधिसूचना अनुसार यदि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपलब्ध कराई जा रही गैर वनभूमि में पहले से ही 0.4 वितान सघनता या उससे अधिक की वनस्पति पैदा हो रही है, तो ऐसी भूमि पर पेड़ लगाने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन समयबृद्ध रीति से वन विभाग द्वारा वन फसल के सुधार के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा।

संदर्भित पत्र क्रमांक-4 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित गैर वनभूमि से लगे हुए वनक्षेत्र बीट पड़रई वनकक्ष क्रमांक-1112 का केनोपी कव्वर/घनत्व 0.5 से 0.6 की वनस्पति उपस्थित है। प्रस्तावित गैर वनभूमि कक्ष क्रमांक-1112 से लगी हुई है तथा प्रस्तावित गैर वनभूमि में स्थित वन की स्थिति कक्ष क्रमांक-1112 के समानुपातिक है।

इसके अतिरिक्त भी यदि उक्त क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उपलब्ध वृक्षों की संख्या की आवश्यकता हो तो कृपया लेख करने का कष्ट करें। उक्तानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सामान्य) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2022/3808

सागर, दिनांक 4-11-22

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सामान्य) वनमण्डल

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9 9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No. 01 Date 28/06/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय–वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष PF-399 के रकबा 2.21 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुडडा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म0प्र0 का पत्र क्रमांक एफ–1/837/2022/10–11/Q-13 दिनांक 21/06/2023

––0––

उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है :–

1. वन विभाग से संबंधित है।
2. हमारे द्वारा इस प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन सीमा से लगी हुई उपलब्ध कराई गई है।
3. हमारे द्वारा इस प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि वन क्षेत्र के बाहर है तथा वन सीमा से लगी हुई है। सम्भवतः पोर्टल पर वन सीमा में शिफ्टिंग के कारण यह त्रुटि परिलक्षित हो रही है।
4. वन विभाग से संबंधित है।
5. प्रस्तावित वनभूमि से किसी प्रकार की रेलवे लाईन, विद्युत लाईन, सड़क या नहर इत्यादि नहीं गुजर रहे हैं। अतः इन विभागों की अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
6. यह प्रस्ताव हमारी निजी फर्म का है। फर्म द्वारा इस खदान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones Prop.
PROPRIETOR

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No..................

Date..................

7. प्रस्तावित वनक्षेत्र सोन अभ्यारण्य से 9.24 कि.मी. की दूरी पर है। सोन अभ्यारण्य का ईको सेंसेटिव जोन 2 कि.मी. का है। अतः प्रस्तावित खदान न तो किसी अभ्यारण्य में है और न ही किसी ईको सेंसेटिव जोन में आती है। अतः वन्यप्राणी अनुमति अथवा अभिमत लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. इस खदान के माईनिंग प्लान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

9. इस प्रस्ताव में आवश्यक वनभूमि का रकबा 2.8 हेक्टेयर है। इस आवश्यक वनक्षेत्र की कार्यवार आवश्यकता के अनुसार विवरण प्रस्ताव के भाग–1 में बिन्दु क्रमांक B-2.4 पर अपलोड कर दिया गया है।

10. प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही जारी होती है। प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।

11. इस संबंध में खनिज अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

12. हमारे द्वारा इस क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन नहीं किया गया है। न ही यह वन भूमि अभी हमे हस्तांतरित हुई है।

13. भाग–1 में विवरण दर्ज कर दिया गया है। सेफ्टिजोन की KML फाईल प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।

14. राज्य शासन द्वारा इन खदानों की स्वीकृति की प्रक्रिया अलग–अलग की गई है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा अलग–अलग आदेशों से यह खदान हमे आवंटित की है।

15. यह खदान एक छोटी खदान है, जिसका कोई विपरीत असर आस–पास के जलाशयों पर नहीं पड़ेगा। इस खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करते समय इस बिन्दु पर विचार कर लिया जायेगा।

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

PROPRIETOR

Prop.

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9 9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No....01........ Date..28/06/23

16. वन विभाग से संबंधित है।
17. यह खदान वन भूमि की राजस्व सीमा से लगी हुई है। माईनिंग प्लान में बिन्दु क्रमांक 4.18, पेज क्रमांक 18 में खनिज परिवहन की योजना का वर्णन है।
18. इस खदान का मलबा किसी प्रकार से वनक्षेत्र में या स्वीकृत खदान के बाहर के वनक्षेत्र में नहीं डाला जायेगा। इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
19. बिन्दु–11 में दिये विवरण अनुसार यह खनिज वन क्षेत्र में ही उपलब्ध है। खनिज अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ललित पधांल)
स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

पृ0 क्रमांक /01 दिनांक

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9 9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No. 1 Date. 28/06/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय–वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष PF-399 के रकबा 2.21 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुडडा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म0प्र0 का पत्र क्रमांक एफ–1/837/2022/10–11/Q-13 दिनांक 21/06/2023

––0––

उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 15 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। भारत सरकार द्वारा बिन्दु क्रमांक 13 सेफ्टी जोन की जानकारी के संबंध में लेख है कि माईनिंग क्षेत्र के पिलर क्रमांक A, F, E और D में 7.5 मीटर की पट्टी में सेफ्टी जोन तैयार किया गया है। पिलर क्रमांक A, B, C और D के साथ लगी निजी भूमि में मेसर्स प्रताप इन्फ्रा लिमि. की स्वीकृत खदान पूर्व से संचालित है।

अतः पिलर क्रमांक A, F, E और D की पट्टी में 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन लिया गया है। पिलर क्रमांक A, B, C और D में साथ की खदान का सेफ्टी जोन होने से इसकी आवश्यकता नहीं है।

(ललित पधांल)
स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

पृ0 क्रमांक/ दिनांक
प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर
Prop.

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9 9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No.................. Date....28/06/2023

वचन पत्र

हम यह वचन देते है कि इस प्रस्तावित खदान से उत्पादित मलबा न तो इस खदान में चाही गई वनभूमि में डाला जायेगा और न ही किसी अन्य वनक्षेत्र में डाला जायेगा।

(ललित पधांल)
स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135

क्रमांक / मा.चि. / 5617 रीवा, दिनांक 23-06-23

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय :– वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकवा 2.21 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुडडा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत्। ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP / MP / MIN / 152429 / 2022

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./ 6–एमपीआर 010 / 2023–बीएचओ / दिनांक 30.05.2023

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/ एफ–1 / 837 / 2022 / 10–11 / क्यू–13 भोपाल दिनांक 21.06.2023

———00———

विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 02 अनुसार चाही गई बिन्दु क्रमांक 01, 04 एवं 16 की जानकारी इस कार्यालय से चाही गई है, जिसे टेबुलर फार्म में तैयार कर संलग्न है। बिन्दु क्रमांक 11 एवं 19 की जानकारी कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त की जाकर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1.	Complete CA scheme shall be submitted/uploaded.	जानकारी वनमण्डल दक्षिण सागर से संबंधित है।
4.	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	संलग्न है।
11.	Status of same minerals surrounding revenue area from competent authority shall be submitted.	कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 2157 दिनांक 23.06.2023 से अवगत कराया गया है कि आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगन्य है। (छायाप्रति संलग्न)
16.	Status of Present land use in the proposed area (counter signed by DFO) needs to be submitted.	संलग्न है।
19.	The certificate from Competent Authority about non availability of the same minerals in surrounding/nearby non-forest area shall be submitted.	कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 2157 दिनांक 23.06.2023 से अवगत कराया गया है कि आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वाजिटिक) प्रकृति का है जो वनभूमि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र से दूरस्थ दूरी पर खनिज गिट्टी, पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृत होकर संचालित है। आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगन्य है। (छायाप्रति संलग्न)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रशेखर सिंह भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)
23/6

पृष्ठा.क्र./मा.चि./ 5618 रीवा, दिनांक/ 23.06.23

प्रतिलिपि :—

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. श्री ललित पंचाल, प्रोपराइटर, स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13 हुद्दा भिवानी, हरियाणा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)
23/06

Justification

आवेदक द्वारा वनमण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र हनुमना के ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना की शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 677/2क में रकबा 2.80 हेक्टेयर वन भूमि में खनिज पत्थर (यांत्रिकीय विधि से गिट्टी निर्माण) उत्खनन किया जाना है। उक्त क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज सेंड स्टोन है, जो क्वार्टजिटिक प्रकृति का है, जिसे गौण खनिज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खनिज पत्थर की उपलब्धता को देखते हुए उक्त प्रस्तावित खनिज पत्थर का उत्खनि पट्टा प्रदान किया जाता है तो खनिज राजस्व में वृद्धि होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

9/5

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, रीवा

(ललित पंघाल)
प्रोपराईटर
म.न. 975/76 सेक्टर,13 हुड्डा भिवानी
हरियाणा

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

PROPRIETOR

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रीवा (म.प्र.)

E-mail- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 2157 / खनिज / 2023 रीवा दिनांक 23/06/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

विषय :– वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकवा 2.210 हे0 वन भूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत्। आनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152429/2022

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 5563 दिनांक 22.06.2023

---x-x-x---

उपरोक्त विषयान्तगत आपके द्वारा संदर्भित पत्र के संबंध में लेख किया गया है कि वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकवा 02.210 हे0 के संबंध में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में जांच खनि निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

जिसके अनुसार आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वार्टजिटिक) प्रकृति का है। आवेदित क्षेत्र (वन भूमि) में प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र से दूरस्थ दूरी पर खनिज गिट्टी, पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर संचालित है। आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगण्य है। वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा. पत्र क्रमांक / / खनिज / 2023 रीवा दिनांक.....................

प्रतिलिपि,

आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, प्रो. श्री ललित पंघाल निवासी स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13, हुड्डा भिवानी, हरियाणा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

बिन्दु क्रमांक 16

Status of present land use in the proposed area (counter signed by DFO) needs to be submitted.

वनमण्डल रीवा अंतर्गत परिक्षेत्र हनुमना के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 339 के खसरा नम्बर 677/2क का रकवा 2.80 हेक्टेयर बिगड़े वनों का सुधार कार्य वृत्त (आर.डी.एफ.) अंतर्गत आता है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, रीवा (म.प्र.)